

Resettlement Planning Document

Project Number: 47270-001

January 2017

IND: Madhya Pradesh District Connectivity Sector Project

Subproject: Ujjain - Maksi Road

Submitted by

Madhya Pradesh Road Development Corporation Ltd., Bhopal

This resettlement due diligence report has been prepared by the Madhya Pradesh Road Development Corporation Ltd., Bhopal for the Asian Development Bank and is made publicly available in accordance with ADB's Public Communications Policy (2011). It does not necessarily reflect the views of ADB.

This resettlement due diligence report is a document of the borrower. The views expressed herein do not necessarily represent those of ADB's Board of Directors, Management, or staff, and may be preliminary in nature. In preparing any country program or strategy, financing any project, or by making any designation of or reference to a particular territory or geographic area in this document, the Asian Development Bank does not intend to make any judgments as to the legal or other status of any territory or area.

Asian Development Bank



CIN No.: U45203MP2004SGC016758
MADHYA PRADESH ROAD DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(Govt. of M.P. Undertaking)

45 - A, Arera Hills. Bhopal - 462 011, Madhya Pradesh Tel.: (O) 0755-2765205, 2527202 - 299 (PRL Line) Fax: +91-755-2572643

Website: www.mprdc.nic.in

PKM AB

Letter no!4:953/MPDCSP/Environment/MPRDC To.

Mr. M. Terasa Kho Country Director, Indian Resident Mission 4, Son Martin Marg Chankyapuri, New Delhi-11 Bhopal/dated. 1.5./12/2016



Sub:- Semi-Annual Environment Monitoring Report for the period of July-December 2015 and Assessment of Social Due Diligence Report under Loan No 3189-IND :- Madhya Pradesh District Connectivity Sector Project.

Dear Sir,

Please find enclosed herewith the "Semi-Annual Social Safeguard Monitoring Report for the period of July-December 2015 & Assessment of Social Due Diligence Report" of Dijain-Maksi road MPDCSP Projects of (Bhopal-1 & Jabalpur Pkg-2 and Bhopal-2 Packages) for the period of July -December - 2015, under Loan No 3189-IND as per Agreement of ADB.

Thanking You.

Encl:-As above.

Chief Engineer (ADB)
MPRDC, Bhopal



Consultancy Services for Supervision of Civil Works for Madhya Pradesh District Connectivity Sector Projects (MPDCSP)

Loan Number: 3189-IND

DUE DILIGENCE REPORTOF UJJAIN – MAKSI ROAD

Prepared by:

Madhya Pradesh Road Development Corporation Ltd.

TABLE OF CONTENTS

Α	PROJECT BACKGROUND	Error! Bookmark not defined.
В	OBJECTIVES OF ASSESSMENT	3
С	METHODOLOGY AND THE ASSESSMENT	Error! Bookmark not defined.
	a. Review of DDR report	Error! Bookmark not defined.
	b. Review of detailed design	Error! Bookmark not defined.
	c. Consultation with local communities and village panchayats	4
	d. Site visits and re-assessment/verification	4
D	GRIEVANCE REDRESS MECHANISM	4
Е	INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS FOR SOCIAL SAFEGUARDS	4
F	FINDINGS	5
G	CONCLUSIONS	5
ANN	EXURES	
	xure1 xure2(a)xure2(b)	

SOCIAL DUE DILIGENCE ASSESSMENT

A. PROJECT BACKGROUND

1. The Government of Madhya Pradesh (GoMP) has been using a combination of budgetary, PPP, and ADB financing, to improve road network in Madhya Pradesh. ADB has supported numerous state highways and rural roads. However, ADB assistance under Madhya Pradesh District Connectivity Sector Project (MPDCSP) project loan 3189-IND has identified, 41 stretches of existing MDR with total length of 1528.5 kms under present contract, for widening and reconstruction of Major District Roads (MDRs) in the state of Madhya Pradesh falling in the districts of the Ujjain, Gwalior, Shivpuri, Rewa, Singrauli, Sidhi, Jabalpur, Mandla, Katni, Narsinghpur, Sagar, Damoh, Tikamgarh, Panna, Chhatarpur, Bhopal, Vidisha, Indore, Gwalior, Ashok Nagar, Khargone, Shajapur, Barwani and Dewas. The proposed project is part of widening and reconstruction of existing major district road(MDR) from single lane/intermediate lane/two lane carriageway to two lane road. The Madhya Pradesh Road Development Corporation (MPRDC) aimed at widening and reconstruction the major district roads to provide reliable road transport services in the state of Madhya Pradesh. 41 sub-projects road sections under present contract, consisted of Civil Works Package No: A to Package No: R with total length of 1528.5 kms were selected for widening and reconstruction. The details of all concerned sub-projects are provided in Table 1:

Table-1: Details of Sub-project Road Packages

Package-1 (Bhopal-1) (Total 378.66 Km)

Package-A: Mahua-Chuwahi road (Length- 48.90 Km)

Package-B: Chitrangi-Kasar road (Length- 39.93 Km)

Package-C: Dabra-Bhitarwar-Harsi road (Length- 62.40 Km)

Package-D: Ujjain-Maksi road (Length- 36.50 Km)

Package-E: Hardua-Chakghat road (Length- 92.26 Km)

Package-F: Persauna-Mahua (upto Barkha), road (Length- 65.26 Km)

Package-G: Rewa-Bankuia-Samariya. Road (Length -33.41 Km)

Package-2 (Jabalpur) (Total 375.59 Km)

Package-H: Rani Durgawati Samadhi Road (MDR-36-19), Tilwara- Chargaon (DR-36-05) & Gotegaon (MDR-41-01), Katni-Vijayraghavgarh-Barhi (MDR-39-01) (Length 118.70 Km)

Package-I: Bandri-Jharuwakheda(MDR-31-32), Nirtala-Mandi Bamora(MDR-31-32), Damoh-Hindoriya-Patera(MDR-32-12) (Length 76.23 Km)

Package-J:Prithvipur-Niwari (MDR-35-05), Ajaygarh-Toriya-Bariyarpur(MDR-33-05), Palera-Baldeogarh MDR-35-25) (Length 84.89 Km)

Package-K: Sidhi-Tikri (MDR 45-02), Kyothi Katra-Lalgaon(MDR 43-02), Mauganj-Katra(MDR-43-04) (Length 95.77 Km)

Package-3 (Bhopal-2) (Total 774.25 Km)

Package-L: Mohanpur Behat Mau (MDR-01-01) & Behat Mau (MDR-02-03), Murar Chitora (MDR-01-08), Murar Chitora (MDR-02-08) & Gatha Amayani (MDR-02-06), Mahana Pohri (MDR-07-06) (Length 159.82 Km)

Package-M: Pachawali Rannod (MDR-07-10) & Rannod Pichhore (MDR-07-04), Bhasula Chainpur Vijaypur-Dhanrawad (MDR-06-09), Ashoknagar Thubon (i/c Kolua Road) (MDR-08-11) (length 110.62 Km)

Package-N: Masudanganj Najeerabad (MDR-06-03) & Najeerabad Maksudangarh (MDR-23-08), Berasia Najeerabad (MDR-23-06), Vidisha Berasia (MDR-23-10) & Vidisha Berasia (MDR-27-01),(Length-98.75Km)

Package Number/ Name of Contract

Package-O: Dewas Newari (MDR-10-02), Mahidpur Panvihar Jeevaji Nagar (MDR-09-04), Shajapur Bercha (MDR-11 -02), Shajapur Dupada Kanad Pachlana Pilvas Nalkheda (MDR-11 -13) (Length-129.14 Km)

Package-P: Sanver Khipra (MDR-15-18), Kanvan Mangod (MDR-16-11), Mahu Simrol (MDR-15-02), Depalpur Betama (MDR-15-07) (length-102.71 Km)

Package-Q: Sanawad Khargone (MDR-20-01), Rajpur Khetiya (MDR-22-05) (Length-108.71 Km)

Package-R: Hathnapur Anwalighat Salkanpur (MDR-30-19), Tawa Bridge Itarasi Mandi (MDR-30-06), Itarasi Dulariya Tigariya (MDR-30-04) (Length-65.03Km)

Subtotal for Civil Works Packages (Grand Total 1528.5 Km)

2. Under the sector loan modality of ADB, a resettlement framework for the project as a whole has been prepared. For all project roads, the improvement will be limited to within the existing right-of-way; therefore, no land acquisition is envisaged. All the subproject roads appraised thus far are classified in category C and due diligence reports (DDR) were prepared. For the temporary impacts identified in the DDRs, the MPRDC has obtained signed consent in the form of memorandum of understanding (MoU) from the affected households, stating their willingness to forgo the small assistance.

B. OBJECTIVES OF ASSESSMENT

3. The objective of study is to assess the impacts in actual or not, since ADB mission in February 2016 had observed that there may be likely impact on structures, people's income and livelihood and accordingly mission recommended to re-assess and verify the ground condition.

C. METHODOLOGY AND THE ASSESSMENT

4. The Consultant has conducted site re-assessment and verification on the ground as the ADB recommended during the mission in the month of February 2016. Before visiting the project site, the consultant has reviewed the relevant documents; namely the DDR report and the detailed design report. In addition, the consultant team has also conducted consultations, meetings and group discussions with local communities and village panchayats during the re-assessment/verification exercise in the field. Following activities were undertaken to conduct the re-assessment: (a) review of the DDR report; (b) review of the detailed design; (c) consultation with the local communities and village panchayats; and (d) site visits and re-assessment/verification.

a. Review of DDR report

5. The consultant reviewed the DDR report in order to verify and reconfirm the impacts on people's livelihood and structures on the ground as recommended by the Mission. In the DDR of July 2014, 17 roadside small shops were identified as likely to be affected temporarily. However, during the signing of Memorandum of Understandings (MoUs) in August 2014, the numbers of temporary affected people were increased to 31 and the MoUs were signed with all. The temporary affected people signed the MoUs willingly to forgo small assistance in favor of benefits resulting from improved roads. The copies of MoUs are provided in *Annexure1*.

b. Review of detailed design

6. The consultant reviewed the subproject road design and cross sections before visiting the project site to identify the critical sections and verify the same on the ground. Accordingly, the consultant verified the design and reconfirmed that there is no impact on people's livelihood and structures due to the implementation of the project.

c. Consultation with local communities and village panchayats

- 7. Public consultations were undertaken with the local communities and village panchayats along the Ujjain-Maksi subproject road. The consultations were held in the villages namely, Patpala (km 8.00), Vijay Mandi (km 18.00) and Kaitha (km 24.00) on 12 April 2016. The local communities appreciated that the project has been completed on time and no negative impacts on livelihood and structures were experienced, as revealed during the consultations. A list of participants location wise is enclosed with this report as **Annexure 2(a)**.
- 8. In addition, the local panchayats have also appreciated the project and gave in writing that the Ujjain Maksi road construction work has been completed successfully. During the meeting with the Gram panchayats, the local communities have pointed out that the removal of the cement platform and the frontage of some structures were done by the people themselves as per the instructions of local administration. In view of the Singhast Maha Kumbh Mela in Ujjain, the local residents were asked by the local authorities to remove the encroached portion in order to provide free space for smooth movement of transportation for pilgrims. The Maha Kumbha Mela (Singhast) falls in every 12 years and millions visit to Ujjain town for holly bath. The removal of encroachment was carried out by the local administration for all the roads in the periphery of 50-60 km connecting to Ujjain town. The letters from the gram panchayats are attached in *Annexure 2(b)*.

d. Site visits and re-assessment/verification

9. Further, the consultant conducted the site assessment and verification of the temporary affected people, the impacted structures and the MoUs signed by the people. The re-assessment verification revealed that the people have signed the MoUs willingly to forgo small assistance in favour of benefits resulting from improved roads. The damage to the frontage of some structure and a cement platform is attributed to the action of local municipal corporation on account of Ujjain Maha Kumbha Mela. People themselves have removed the encroached part of their structure as per the instructions of local administration, thus not related to the road project.

D. GRIEVANCE REDRESS MECHANISM

10. The GRC both State (MPRDC) and Divisional level (PIU) have been constituted for Ujjain – Maksi Road section. In addition, a register of grievances was also placed in construction camp to register people's grievances. The re-assessment process looked at the grievances received in the project and found that none of the grievances is related to the loss of livelihood or impact on structures due to the project. Thus can be concluded that the project did not cause any impact on the private structures and loss of livelihood during the implementation.

E. INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS FOR SOCIAL SAFEGUARDS

11. A General Manager (GM) at MPRDC headquarter is the designated person in charge for project implementation. The Environmental and Social Cell at MPRDC headquarters, reporting to the General Manager, is responsible for ensuring compliance with environmental and social safeguards of project roads. To support the environment and social cell of MPRDC, position of social experts under the supervision consultant has been included. The social experts of supervision consultant are responsible for monitoring and supervision of social safeguards matters, preparing of monitoring report, and advice on compliance issue. The required intuitional arrangements including the experts are in place to manage the social safeguards matter.

F. FINDINGS

- 12. The assessment exercise has been completed through desk review and verifications on site including the consultations with the village panchayats and local communities. Based on the assessment, the findings are as:
 - All the temporary impacted households have willingly signed the MoU with the MPRDC to forgo small assistance in favour of benefits resulting from improved roads. The DDR had reported temporary impacts on 17 road side shops, however, during the signing of MoU the actual number was assessed as 31 households impacted temporarily. The MoUs were signed before the start of the construction works. MPRDC along with SQC jointly visited the project site during the project implementation to review the site condition in the month of June 2015 and found that the project did not impact people's livelihood since the contractor had provided adequate access to them.
 - The damage to the frontage of some structures and to a cement platform was attributed to the
 actions taken by the local administration on account of religious festival involving gathering of
 large number of people in Ujjain town. The removal of encroachment was carried out on all the
 roads connecting the Ujjain town.

G. CONCLUSIONS

13. The consultant conducted the re-assessment of impacts and found that the project has not impacted any structure, or livelihood of people; thus, payment of compensation and assistance is not required. Furthermore, the temporary affected households have willing signed the MoUs to forgo the assistance.

List of Signed MoUs

सहमति पत्र (व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर करने हेतू)

यह सहमति पत्र दिनांक ७७/१९/२०/५को श्री/श्रीमति 🕳 😽 सिंह निवासी <u>पाटपाली</u> (जिन्हें बाद में प्रथम पक्ष कहा जावेगा) एवं मध्य प्रदेश रोड डेव्हलोपमेंट कारपीरेशन की तरफ से श्री एक मी अर्थिशा...(जिन्हें बाद में द्वितीय पक्ष कहा जावेगा) के मध्य हस्ताक्षरित किया गया । गवाहों / साक्षी की उपस्थिति में यह दस्तावेज निष्पादित किया गया है।

- यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा वह अपना कालूद्धी... व्यवसाय पिछले ३५. वर्षों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेंदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सडक के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सड़क निर्माण के दौरान बाधित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
 - 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमति में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं रोड़ निर्माण हेतु सहमति दे दी है।
 - 3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम पाटपाला तहसील उपने में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में समावित अस्थयी व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
 - 4. यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थयी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।

5. यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी आजीविका व्यवधान संबंधित सहमति स्वीकार है। ASST. GENERAL MANAGER M.P.R.D.C., UJJAIN (M.P.)

- 6. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के लिये सभी संभव सावधानियां पूर्वक कार्य करेगा।
- 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक वाहनों के आवागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
- यह कि दोनों पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत
 है।
- 9. यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

साक्षी / गवाहां की उपस्थिति में दोनो	पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस
पत्रक को हस्ताक्षरित किया है।	
हस्ताक्षर प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष की ओर से अधिकृत (मोहर संहित)
गवाह 1. हस्ताक्षर करण सिंह नाम - जरण सिंह पूरा पता - भाम - पार्थाला से. उज्जैन, जि - उज्जैन	गवाह ASST. GENERAL MANAGER 1 हस्ताक्षर M.P.R.D.C., UJJAIN (M.P.) 1 हस्ताक्षर M.P.R.D.C., UJJAIN (M.P.) 1 पूरा पता निर्माण कें
	2 हस्ताक्षर नाम — पूरा पता — ग्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर. य संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के केया जा सकता है)

यह सहमति पत्र दिनांक ा शिक्षित भी शीमति सिंहिं बाद में प्रथम पक्ष कहा जावेगा) एवं मध्य प्रदेश रोड़ डेव्हलीपमेंट कारपीरेशन की तरफ से श्री किया गया । गवाहों / साक्षी की उपस्थिति में यह दस्तावेज निष्पादित किया गया है।

- 1. यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा वह अपना मिंग्ड्रिंगे... व्यवसाय पिछले 38 वर्षों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सड़क निर्माण के दौरान बाधित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र पियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजिनक लोक सहमति में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमति दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम (प्राप्टिप) तहसील (उपणी) में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संभावित अस्थयी व्यवधान को देखते हुये भी सहमित प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थियी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।

5. यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी <u>आ</u>जीविका व्यवधान संबंधित सहमति स्वीकार है।

मीरन

ASST. GENERAL MANAGER M.P.R.D.C., UJJAIN (M.P.)

- 6. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड़ के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के लिये सभी संभव सावधानियां पूर्वक कार्य करेगा।
- 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक वाहनों के आवागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
- यह कि दोनों पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत है।
- 9. यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

साक्षी / गवाहां की उपस्थिति में दोनो पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस पत्रक को हस्ताक्षरित किया है।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष की ओई से अधिकृत
	(मोहर सहित्)
गवाह	गवाह
1. हस्ताक्षर मिहिल नाम – महिल	1 हरताक्षे EST. GENERAL MANAGER M.P.R.D.C., UJJAIN (M.P.) नाम —
पूरा पता - अलग न पारपा	पूरा पता - (म्लू.सी. कुरेडिका) पोर्ग
2. हस्ताक्षर जिल्ला निर्दे	2 हस्ताक्षर
नाम प्रीतन सिंह	नाम —
पूरा पता - पार्थपाल्ड)	पूरा पता
(गवाह / साक्षी में गांव के सरपंच	
कसलटट क प्रातानाध, गर-शासकि	य संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के
बुजुर्ग / वरिष्ठ नागरिकों को शामिल	किया जा सकता है।

- 1. यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा वह अपना क्रेक्ट्रिकी... व्यवसाय पिछले ₹0 वर्षों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सड़क निर्माण के दौरान बाधित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमित में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमित दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम पाटपाला तहसील उपनी में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संभावित अस्थियी व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थियी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।

 यह_कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी आजीविका व्यवधान संबंधित सहमित स्वीकार है।

ň

विवजी

ASST. GENERAL MANAGER

6. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के लिये सभी संभव सावधानियां पूर्वक कार्य करेगा।

3

- 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक वाहनों के आवागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
 - यह कि दोनों पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत है।
 - 9. यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

साक्षी / गवाहां की उपस्थित में दोनों पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस पत्रक को हस्ताक्षरित किया है। हस्ताक्षर प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष की ओर से अधिकृत (मोहर सहित) प्राप्ता (माहर सहित) प्राप्ता (माहर

कंसलटेंट के प्रतिनिधि, गैर शासकिय संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के

बुजुर्ग / वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जा सकता है)

यह सहमति पत्र दिनांक श्री १८ /२०१५को श्री /श्रीमति १३ ग्री प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त (जिन्हें बाद में प्रथम पक्ष कहा जावेगा) एवं मध्य प्रदेश रोड़ डेव्हलोपमेंट कारपोरेशन की तरफ से श्री एक मि किया गया। गवाहों / साक्षी की उपस्थिति में यह दस्तावेज निष्पादित किया गया है।

- 1. यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा वह अपना क्रिक्ट्र.... व्यवसाय पिछले द्वि. वर्षों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सड़क निर्माण के दौरान बाधित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमित में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमित दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम वाटपाली तहसील उपनी में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संगावित अस्थयी व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थयी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवर्ज का दावा नहीं करेगा।

5. यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी आजीविका व्यवधान संबंधि<u>त</u> सहमति स्वीकार है।

> ASST. GENERAL MANAGER M.P.R.D.C., UJJAIN (M.P.)

अमि सकारी

- 6. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के लिये सभी संभव सावधानियां पूर्वक कार्य करेगा।
- 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक वाहनों के आवागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
- यह कि दोनो पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत है।
- 9. यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

- 1. यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा वह अपना क्षाप्रद्वारी व्यवसाय पिछले देख वर्षों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सड़क निर्माण के दौरान बाधित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमति में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमति दें दी हैं।
- 3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम पाटपाला तहसील उज्जेन में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संभावित अस्थियी व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थिया आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।

5. यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी आजीविका व्यवधान संबंधित सहमति स्वीकार है।

रामश्

ASST. GENERAL MANAGER

- 6. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के लिये सभी संभव सावधानियां पूर्वक कार्य करेगा।
- 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक वाहनों के आवागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
 - 8. यह कि दोनो पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत है।
 - 9. यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

साक्षी / गवाहां की उपस्थिति में दोनो पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस पत्रक को हस्ताक्षरित किया है।

		Section 1992 Parks
हस्ताह	क्षर प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष की ओर से अधिकृत
		(मोहर सहित)
गवाह	21-2191	गवाह 🕠
1.	हस्ताक्षर र	1 हस्ताक्षर
	नाम –	ASST_GENERAL MANAGER
	परा पता - २१४।	पूरा पता - एन . धर्ने करिट्या
3	العالم الم	100 100 Y
	ता: अर्जन, जिन उज्जीन	
2.	हस्ताक्षर जीवन हिंद	2 हस्ताक्षर
-	ALE V VV	नाम —
	पूरा पता -	पूरा पता
(mene	उल्पेन इ/साक्षी में गांव के सरपंच,	ग्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर.
		ज्य संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के
बुजुर्ग	/वरिष्ठ नागरिकों को शामिल	किया जा सकता है)

- 1. यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा वह अपना क्रिल्यू के व्यवसाय पिछले 65 वर्षों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सड़क निर्माण के दौरान बाधित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमित में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमित दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम पार्टपाला तहसील उन्में में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संभावित अस्थयी व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- 4. यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थयी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।

5. यह कि द्वितीय पक्ष को अ<u>स्था</u>यी आजीविका व्यवधान संबंधित सहमति स्वीकार है।

> ASST. GENERAL MANAGER M.PR.D.C. UJJAIN (M.P.)

- 6. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के लिये सभी संभव सावधानियां पूर्वक कार्य करेगा।
- 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक वाहनों के आवागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
- यह कि दोनो पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत है।
- 9. यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

साक्षी/गवाहां की उपस्थिति में दोनो पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस पत्रक को हस्ताक्षरित किया है।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष की ओर से अधिकृत
गवाह 1. हस्ताक्षेप नाम – विष्णु पूरा पता – आफ्र- पाटपाळा	मिहर सहित) गवाह 1 हस्ताक्षर GENERAL MANAGER नाम M.E.B.D.C. LALIAIN (M.P.) पूरा पता — १९०० सी उर्गेडिया
2. हस्ताक्षर जीन्म सिंह नाम – जीवन सिंह पूरा पता – पश्चिम	2 हस्ताक्षर नाम – पूरा पता –
(गवाह/साक्षी में गांव के सरपंच,	ग्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर.

- 1. यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा वह अपना सिज़्रूरी... व्यवसाय पिछले \$0. वर्षों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सड़क निर्माण के दौरान बाधित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमित में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमित दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम पाँग्याला तहसील अपनी में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संभावित अस्थयी व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थियी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।

5. यह कि द्वितीय पक्ष को <u>अस्थायी क्ष</u>्राजीविका व्यवधान संबंधित सहमति स्वीकार है।

ASST GENERAL MANA

- 6. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के लिये सभी संभव सावधानियां पूर्वक कार्य करेगा।
- 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक वाहनों के आवागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
- यह कि दोनो पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत है।
- 9. यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

साक्षी / गवाहां की उपस्थिति में दोनो पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस पत्रकं को हस्ताक्षरित किया है।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष की ओर से अधिकृत
गवाह 1. हस्ताक्षर	मवाह 1 हस्ताक्षर हामहारा MANAGER 1 हस्ताक्षर हामहारा MANAGER WE R.D.C. UJJAIN (M.P.) परा पता —
नाम - केंतरी बाई पूरा पता - ग्राफ- पारपाल) ते उज्जीन जिन उज्जी	पूरा पता
2. हस्ताक्षर जीवन शिंह नाम - जीवन सिंह	2 हस्ताक्षर नाम —
पूरा पता — ग्राष्ट्र- पारपाला	पूरा पता

(गवाह/साक्षी में गांव के सरपंच, ग्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर. कंसलटेंट के प्रतिनिधि, गैर शासिकय संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के— बुजुर्ग/वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जा सकता है)

यह सहमति पत्र दिनांक ७७१७६ १५ को श्री/श्रीमति ७०३०० विह निवासी पाटिपाल) (जिन्हें बाद में प्रथम पक्ष कहा जावेगा) एवं मध्य प्रदेश रोड़ डेव्हलोपमेंट कारपीरेशन की तरफ से श्री रि. मी कहा जावेगा) (जिन्हें बाद में द्वितीय पक्ष कहा जावेगा) के मध्य हस्ताक्षरित किया गया । गवाहों/साक्षी की उपस्थिति में यह दस्तावेज निष्पादित किया गया है।

- 1. यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी बाला है। तथा वह अपना क्रिक्ट्रिंग् व्यवसाय पिछले कि वर्षों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार हैं/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सड़क निर्माण के दौरान बाधित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमित में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेत् सहमित दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम प्राटपाळी. तहसील अज्ञित में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संभावित अस्थियी व्यवधान को देखते हुये भी सहमित प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थयी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थाधी आजीविका व्यवधान संबंधित सहमति स्वीकार है।

ASST. GENERAL MANAGER M.P.R.DIC., UJJAIN (M.P.)

ann Ala

- 6. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के लिये सभी संभव सावधानियां पूर्वक कार्य करेगा।
- 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक बाहनों के आवागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
- यह कि दोनो पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत
 है।
 - 9. यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

साक्षी / गवाहां की उपस्थिति में दोनो	पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस
पत्रक को हस्ताक्षरित किया है।	1
हस्ताक्षर प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष की ओर से अधिकृत
गवाह 1. हस्ताक्षर नाम - क्रमळ विंह	(मोहर सहित) गवाह ASST. BENERAL MANAGER M.P.R.D.Q., UJJAIN (M.P.) 1 हस्ताक्षर नाम —
पूरा पता — शाम - पाटपाला) ते उज्जैन, जिन्डल्लैं	पूरा पता —
2. हस्ताक्षर कि निर्दे नाम – जीवन सिंह पूरा पता – ग्राह पाटपाली	2 हस्ताक्षर नाम – पूरा पता –
(गवाह / साक्षी में गांव के सरपंच,	ग्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर.
कंसलटेंट के प्रतिनिधि, गैर शासकि बजर्ग / वरिष्ठ नागरिकों को शामिल	य संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के किया जा सकता है)

यह सहमति पत्र दिनांक 01 128 2014को श्री / श्रीमति ... जिल् विवासी ... पाट पाळी (जिन्हें बाद में प्रथम पक्ष कहा जावेगा) एवं मध्य प्रदेश रोड़ डेव्हलोपमेंट कारपिरेशन की तरफ से श्री किया प्रया । पाट पाळी के मध्य हस्ताक्षरित किया गया । पाटा / साक्षी की उपस्थिति में यह दस्तावेज निष्पादित किया गया है।

- 1. यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा वह अपना क्रिक्न व्यवसाय पिछले क्ष्मिन वर्षों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेवार है/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेवार का व्यवसाय तथा आमदानी सड़क निर्माण के दौरान बाधित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमति में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमति दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम पारपाला तहसील जिल्ली में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संभावित अस्थयी व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थयी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।

 यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी आजीविका व्यवधान संबंधित सहमित स्वीकार है।

CH HOZ

- 6. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के लिये सभी संभव सावधानियां पूर्वक कार्य करेगा।
 - 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक वाहनों के आवागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
- यह कि दोनों पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत
 है।
 - 9. यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

साक्षी / गवाहां की उपस्थिति में दोनो पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस पत्रक को हस्ताक्षरित किया है।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष की ओर से अधिकृत
	(मोहर् सहित)
गवाह 🗸 🔾	गवाह
1. हस्ताक्षर जि हेर्डिं	1 ASSI GENERAL MANAGER
नामिंग होन्द्र	नाम - एक सी, करेडिया
TITE TEST	पूरा पता
में उज्जेन जि-उज्जेन	<u> </u>
2. हस्ताक्षर Am AlE	2 हस्ताक्षर
नाम	नाम —
पूरा पता - पार्थाला	पूरा पता
1 3 To 2 To 2	me de la comi
	ग्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर.
	य संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के
बुजुर्ग / वरिष्ठ नागरिकों को शामिल र्	केया जा सकता है)

- 1. यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा वह अपना अन्द्रहरी व्यवसाय पिछले & वर्षों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सड़क निर्माण के दौरान बाधित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमित में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमित दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम प्राध्याला तहसील उपनेने में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संभावित अस्थियी व्यवधान को देखते हुये भी सहमित प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थियी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।

 यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी औजीविका व्यवधान संबंधित सहमित स्वीकार है।

> ASST. GENERAL MANAGER M.P.R.D.C. UJJAIN (M.P.)

- Jiai 197

- 6. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के लिये सभी संभव सावधानियां पूर्वक कार्य करेगा।
- 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक वाहनों के आवागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
- 8. यह कि दोनो पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत है।
- 9. यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

साक्षी / गवाहां की उपस्थिति में दोनो पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस पत्रक को हस्ताक्षरित किया है।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष की ओर से अधिकृत (मोहर से(हेत)
गवाह 1. हस्ताक्षर तीताला है। नाम - जानाला पूरा पता - आज पार पारणानी	गवाह 1 हस्ताक्षर नक्ष्म GENERAL MANAGER नक्ष्म (M.P.) पूरा पता — अनु स्तु हुन्। गाम स्तु (ए)
2. हस्ताक्षर तेला निर्माण के सरपंच, कंसलटेंट के प्रतिनिधि, गैर शासकि	2 हस्ताक्षर नाम – पूरा पता – ग्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर. य संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के

बुजुर्ग / वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जा सकता है)

यह सहमति पत्र दिनांक ११ मिन्न को श्री/श्रीमति काल वाम निवासी पारपाल (जिन्हें बाद में प्रथम पक्ष कहा जावेगा) एवं मध्य प्रदेश रोड़ डेव्हलोपमेंट कारपीरेशन की तरफ से श्री किया गया । गवाहों/साक्षी की उपस्थिति में यह दस्तावेज निष्पादित किया गया है।

- 1. यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा वह अपना मिन्द्रा व्यवसाय पिछले कि वर्षों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सड़क निर्माण के दौरान बाधित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमित में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमित दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम प्राटिपाली तहसील उपनी में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संभावित अस्थियी व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थियी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।

_ 5. यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी आजीविका_व्यवधान संबंधित सहमति स्वीकार है।

मानामा । साम्रोतिम

- 6. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के लिये सभी संभव सावधानियां पूर्वक कार्य करेगा।
- 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक वाहनों के आवागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
- यह कि दोनो पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत है।
- 9. यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

साक्षी/गवाहां की उपस्थिति में दोनो पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस पत्रक को हस्ताक्षरित किया है। हस्ताक्षर प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष की ओर से अधिकृत (मोहर सहित)
गवाह

		(मोहर सहित)
वाह		ASST. GENERAL MANAGER 1 BINTHORD.C., VIJAIN (M.P.)
1.	हस्ताक्षर	1 BAKRAND.C., WIJAIN (MILL)
	नाम - क्लाल राम	नामकुर्रा ३२।
	पूरा पता - थाठ- पायपान्छा	TYP KOC
	ले. एवं जीका- उज्जेन	- Ujary
2	हस्ताक्षर ्येक ग्री	2 हस्ताक्षर

2. हस्ताक्षर ्रीका पिंह 2 हस्ताक्षर नाम – पिंदि नाम – पूरा पता – पांटपाला पूरा पता –

(गवाह / साक्षी में गांव के सरपंच, ग्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर. कंसलटेंट के प्रतिनिधि, गैर शासकिय-संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के बुजुर्ग / वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जा सकता है)

यह सहमति पत्र दिनांक ७७/०७/१५ को श्री/श्रीमति स्पट्ट लीकि निवासी (जिन्हें बाद में प्रथम पक्ष कही जावेगा) एवं मध्य प्रदेश रोड़ डेव्हलोपमेंट कारपीरेशन की तरफ से श्री कि सी किया गया । गवाहों/साक्षी की उपस्थिति में यह दस्तावेज निष्पादित किया गया है।

- 1. यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा वह अपना सिन्द्र्र व्यवसाय पिछले दि वर्षों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सड़क निर्माण के दौरान बाधित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमति में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमति दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम पाटिपाला तहसील उपनी में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संभावित अस्थियी व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थियी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।

 यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी आजीविका व्यवधान संबंधित सहमित स्वीकार है।

निख्यु लील

- 6. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड के समीप रिथत सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के लिये सभी संभव सावधानियां पूर्वक कार्य करेगा।
- 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक वाहनों के आवागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
 - 8. यह कि दोनो पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत है।
 - 9. यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

साक्षी / गवाहां की उपस्थिति में दोनो पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस पत्रक को हस्ताक्षरित किया है।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष की ओर से अधिकृत
	(मोहर् सहित)
गवाह 1. हस्ताक्षर स्टिप्ट मार्गि नाम – अट्टर क्याल	1 ETTIER MANAGER ASST. GENERAL MANAGER ASST. GENERAL MANAGER ASST. GENERAL MANAGER ASST. GENERAL MANAGER
नाम - (माइ हा हा हा प्राप्त) पूरा पता - जार्ड पारपाला हो- उप्पेन, जि- उप्पेन	yer un - L.C. Kyroth y
2. हस्ताक्षर जी का हिंह नाम - जीका हिंह पूरा पता - ज़ाह पाटपाली	2 हस्ताक्षर नाम – पूरा पता –
(गवाह / साक्षी में गांव के सरपंच	ग्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर.
	य संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के
ASST. GENE	ERAL HIP (M.P.)
MERDY	of en

यह सहमित पत्र दिनांक ैरिश्री को श्री/श्रीमित कारणिंदिया निवासी प्राथमिक (जिन्हें बाद में प्रथम पक्ष कहा जावेगा) एवं मध्य प्रदेश रोड़ डेव्हलोपमेंट कारणेरेशन की तरफ से श्री किया गया।
गवाहों/साक्षी की उपस्थिति में यह दस्तावेज निष्पादित किया गया है।

- 1. यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा वह अपना कि क्या व्यवसाय पिछले हैं... वर्षों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सड़क निर्माण के दौरान बाधित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमित में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमित दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम पारणाली तहसील हैं हैं जिन् में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संभावित अस्थयी व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थयी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।

यह कि द्वितीय पक्ष_को अस्थायी आजीविका व्यवधान संबंधित सहमति_
 स्वीकार है।

Kamal Sigil

ASST. GENERAL MANAS. M.P.R.D.C., UJJAIN (M.P.)

- 6. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के लिये सभी संभव सावधानियां पूर्वक कार्य करेगा।
- 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक वाहनों के आवागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
- यह कि दोनो पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत
 है।
- 9. यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

साक्षी / गवाहां की उपस्थिति में दोनो पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस

पत्रक को हस्ताक्षरित किया है।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष की और से अधिकृत

गवाह

गवाह

गवाह

1. हस्ताक्षर

नाम — काम सिंह सिमाद्दिश

पूरा पता — गार्ड पारपाली

गे. उपर्राण, जिल्ला कि स्ताक्षर

नाम — जीता सिंह

पूरा पता — गार्ड पारपाली

थरा पता — गार्ड पारपाली

पूरा पता — गार्ड पारपाली

(गवाह / साक्षी में गांव के सरपंच, ग्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर.

कंसलटेंट के-प्रतिनिधि, गैर शासिकय संगठनों के प्रतिनिधि तथा-ग्राम के

बुजुर्ग / वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जा सकता है)

यह सहमति पत्र दिनांक हा शिक्षी को श्री/श्रीमति ... (जन्हें वाद में प्रथम पक्ष कहा जावेगा) एवं मध्य प्रदेश रोड़ डेव्हलोपमेंट कारपीरेशन की तरफ से श्री प्रकृत की ... (जिन्हें वाद में द्वितीय पक्ष कहा जावेगा) के मध्य हस्ताक्षरित किया गया । गवाहों/साक्षी की उपस्थिति में यह दस्तावेज निष्पादित किया गया है।

- 1. यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा वह अपना कि का व्यवसाय पिछले कि वर्षों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सड़क निर्माण के दौरान बाधित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमति में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेत् सहमति दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम प्राष्ट्रपान्छ तहसील उपर्यान में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संभावित अस्थयी व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थयी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।

5. यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी आजीविका व्यवधान संबंधित सहमित स्वीकार है।

Jinsh Momoblai

- 6. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के लिये सभी संभव सावधानियां पूर्वक कार्य करेगा।
- 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक वाहनों के आवागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
- यह कि दोनों पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत
 - 9. यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

साक्षी / गवाहां की उपस्थित में दोनो पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस
पत्रक को हस्ताक्षरित किया है।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष की और से अधिकृत

(मोहर सहिन्न)
गवाह
गवाह
गवाह
गवाह
1. हस्ताक्षर जिल्हा जिल्हा

बुजुर्ग / वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जा सकता है)

- 1. यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा वह अपना क्राब्यू की व्यवसाय पिछले 40 वर्षों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सड़क निर्माण के दौरान बाधित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमित में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमित दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम प्राटपाकी तहसील ... उट्टिंग ने में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संभावित अस्थियी व्यवधान को देखते हुये भी सहमित प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थयी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी आजीविका व्यवधान संबंधित सहमति स्वीकार है।

- 6. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के लिये सभी संभव सावधानियां पूर्वक कार्य करेगा।
 - 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक वाहनों के आवागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
 - यह कि दोनो पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत
 है।
 - 9. यह कि हरताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

साक्षा / गवाहा का उपास्थात म दा-	ना पक्षा न उपर लिखत ताराख का इस
पत्रक को हस्ताक्षरित किया है।	N
हस्ताक्षर प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष की ओर से अधिकृत
गवाह (मोहर सहित ERAL MANAGER (मोहर सहित ERAL MANAGER (M.P.)
1. हस्ताक्षर 🗸 🗎 🐧 💿	रीर्र 1 हस्ताक्षर
नाम - क्यांता का	नाम - <u>६० ६५ म्ल</u> ीर्भपूत्
नाम - क्राह्म लाहे पूरा पता शाकु पाटपास्त्री	पूरा पता
त- अभीन जि- उत्मन	- Sping
2. हस्ताक्षर जीवर्त्र सिंह	2 हस्ताक्षर
नाम	नाम —
नाम	पूरा पता —
(गवाह / साक्षी में गांव के सरपंच	।, ग्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर.
	केय संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के
बुजुर्ग / वरिष्ठ नागरिकों को शामिल	
401.1/ 415.0 11 11541 41 511 151	tarat on darkt ey

यह सहमति पत्र दिनांक हा कि श्री को श्री / श्रीमति रिन्निकार निवासी प्रिटेपिका (जिन्हें बाद में प्रथम पक्ष कहा जावेगा) एवं मध्य प्रदेश रोड़ डेव्हलोपमेंट कारपीरेशन की तरफ से श्री कि किया गया।
गवाहों / साक्षी की उपस्थिति में यह दस्तावेज निष्पादित किया गया है।

- 1. यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा वह अपना क्राह्म दूरी व्यवसाय पिछले श्रि. वर्षों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सड़क निर्माण के दौरान बाधित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमति में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेत् सहमति दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम प्राटिपाकी तहसील अपनि में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संभावित अस्थयी व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थियी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।

 यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी आजीविका व्यवधान संबंधित सहमित स्वीकार है।

-

ASST. GENERAL MANAGER

- 6. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के लिये सभी संभव सावधानियां पूर्वक कार्य करेगा।
 - 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक वाहनों के आवागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
 - यह कि दोनो पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत
 है।
 - 9. यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

पत्रक को हस्ताक्षरित किया है।	
हस्ताक्षर प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष की ओर सि अधिकृत
	(मोहर सहित)
गवाह	गवाह ASST. GENERAL MANAGER
1. हस्ताक्षर रतेज ला	1 ETTING R.D.C., UJJAIN (M.P.)
नाम –रसगुलाल	THE LICE KNIETH &
पूरा पता — अधिक अधिक निवास	पूरा पता – क्रकृत्व
पूरा पता — क्यान पाश्य तो. उपयोग, जिन उप	من والله والله الله الله الله الله الله ال
2. हस्ताक्षर नाम –	2 हस्ताक्षर
नाम –	<u> </u>
पूरा पता - जीवन सिंह	पूरा पता –
<u> </u>	
(गवाह / साक्षी में गाव के स	रपंच, ग्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर.

यह सहमित पत्र दिनांक ८:१००० को श्री/श्रीमित हिमराज निवासी पाटणाली (जिन्हें बाद में प्रथम पक्ष कहा जावेगा) एवं मध्य प्रदेश रोड़ डेव्हलोपमेंट कारपीरेशन की तरफ से श्री कि किया गया । गवाहों/साक्षी की उपस्थिति में यह दस्तावेज निष्पादित किया गया है।

- 1. यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा वह अपना किराया यवसाय पिछले . 3. वर्षों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सड़क निर्माण के दौरान बाधित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमित में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमित दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम पार्टपाली तहसील उपनी में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संभावित अस्थियी व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होंने वाले अस्थियी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।

- 6. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड़ के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के लिये सभी संभव सावधानियां पूर्वक कार्य करेगा।
- 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक वाहनों के आवागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
- यह कि दोनो पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत है।
- 9. यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

साक्षी / गवाहां की उपस्थित में दोनो पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस
पत्रक को हस्ताक्षरित किया है।
हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

वितीय पक्ष की और से अधिकृत
(मोहर सहित)

गवाह

1. हस्ताक्षर टे १२००० वित्त वित

यह सहमति पत्र दिनांक िश्चिम् को श्री/श्रीमति किश्चिम् प्राप्ति को श्री/श्रीमति किश्चिम् प्राप्ति को प्राप्ति के प्राप्ति किश्च प्राप्ति के प्राप्ति क

- 1. यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा वह अपना हिया क्रिकेट व्यवसाय पिछले . वर्षों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सड़क निर्माण के दौरान बाधित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
 - 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमित में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमित दे दी है।
 - 3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम प्रायालना तहसील जुन्निन में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संभावित अस्थियी व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
 - यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थयी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।

5. यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी आ<u>जी</u>विका व्यवधान संबंधित सहमति स्वीकार हैं।

द्यान वर्मी

- 6. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के लिये सभी संभव सावधानियां पूर्वक कार्य करेगा।
 - 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक वाहनों के आवागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
 - यह कि दोनो पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत है।
- 9. यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

साक्षी / गवाहां की उपस्थिति में दोनो पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस पत्रक को हस्ताक्षरित किया है।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष की और से अधिकृत
	(मोहर सहिन)
गवाह 1. हस्ताक्षर व्यवदा निमा	गवाह ASST, GENERAL MANAGER 1 हस्ताहरू R.D.O., UJJAIN (M.P.)
नाम - कुट्यन वमि पूरा पता - श्रुक पार्शाका	नाम - L.C. Kure Hoy 9 पूरा पता - M. R. D.C.
ते अप्येत विन उपयेन	wy ain
2. हस्ताक्षर जीका हिंह नाम - जीवन हिंह	2 हस्ताक्षर नाम —
पूरा पता — १५५ पोटपान्ड)	पूरा पता —
	ग्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर.
कंसलटेंट के प्रतिनिधि, गैर सासकिय बजर्ग /वरिष्ठ नागरिकों को शामिल वि	। संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के क्या जा सकता है।

- 1. यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा वह अपना याम की व्यवसाय पिछले कि वर्षों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार हैं/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सड़क निर्माण के दौरान बाधित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमति में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमति दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम क्वियान तहसील तहसील निर्माना में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संभावित अस्थियी व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- 4. यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थयी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।

5 यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी आजीविका व्यवधान संबंधित सहमति स्वीकार है।

रवीकार है।

ASST GENERAL MANAGER
M.P.R.D. U.J.J.AIN (M.P.)

- 6. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के लिये सभी संभव सावधानियां पूर्वक कार्य करेगा।
 - 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक वाहनों के आवागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
- यह कि दोनो पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत
 है।
 - 9. यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

साक्षी / गवाहां की उपस्थिति में दोनो पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस पत्रक को हस्ताक्षरित किया है।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष की ओर् से अधिकृत
4.40	् गवाह 1 हस्ताक्षर सहितो अइंग GENERAL MANAGER ASST GENERAL MANAGER M.PR.D.C., UJJAJN (M.P.)
गवाह	्र गवाह ASST GENERALN (N.M.
1. हस्ताक्षर 🗐 🗸 🔊 👌	1 हस्ताक्षर 14.5
नामराम याठाड	नाम - C.C. Kure thing
पूरा पता — आठ- काम्पा	- पूरा पता - MPROC
तः सराना, जि. उज्जैन	<u>vjjaly</u>
2. हस्ताक्षर शिबीन	2 हस्ताक्षर
नामराह्न्स पारिहाट	नाम 🛨
पूरा पता - हार टनायापा	पूरा पता
ते मराजार जि. उर्जन	
(गवाह/साक्षा में गांव के सरपंच,	ग्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर.
	त्य संगडनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के
बजर्ग / वरिष्ठ नागरिकों को शामिल	किया जा सकता है)

यह सहमति पत्र दिनांक 08 14 को श्री/श्रीमति भारायण नारायण निवासी (जिन्हें बाद में प्रथम पक्ष कहा जावेगा) एवं मध्य प्रदेश रोड़ डेव्हलोपमेंट कारपोरेशन की तरफ से श्री कि कि (जिन्हें बाद में द्वितीय पक्ष कहा जावेगा) के मध्य हस्ताक्षरित किया गया । गवाहों/साक्षी की उपस्थित में यह दस्तावेज निष्पादित किया गया है।

- 1. यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा वह अपना मिन्नि (क्षेत्रिक्षेप्र) अनुवारी पर वर्षों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार हैं/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सड़क निर्माण के दौरान बाधित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमित में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाम को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेत् सहमित दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पक्ष् द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम क्ष्णिय्या तहसील त्राना में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संभावित अस्थयी व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थयी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।

5. यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी आजीविका व्यवधान संबंधित सहमति



- 6. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के लिये सभी संभव सावधानियां पूर्वक कार्य करेगा।
 - 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक वाहनों के आवागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
 - यह कि दोनों पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत
 है।
 - 9. यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

पत्रक को हस्ताक्षरित किया है।	वाना पक्षा न उपर लिखत ताराख का इस
हस्ताक्षर प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष की ओर से अधिकृत
गवाह	AS साहत अहित्ये L MANAGER गवाह M.P.R.D.C., UJJAIN (M.P.)
1. हस्ताक्षर	1 हस्ताक्षर
नाम -	THE - SILL CHEEKLING
पूरा पता 🚭 न नाराम्य	ने तरामा पूरा पता - MP BOC
(v) 30019	of the same of the
2. हरताक्षर रिक्पोर्वेण	2 हस्ताक्षर
नाम	ीतार नाम –
पूरा पता — राष्ट्रका पा पूरा पता — कार्याया	पूरा पता
	 रिपंच, ग्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर.
	गासकिय संगठनों के प्रतिनिधि-तथा ग्राम के
बुजुर्ग / वरिष्ठ नागरिकों को श	ामिल किया जा सकता है)

यह सहमति पत्र दिनांक क्ष्मिष्ट । प्रिन्हें बाद में प्रथम पक्ष कहा जावेगा) एवं मध्य प्रदेश रोड़ डेव्हलोपमेंट कारपीरेशन की तरफ से श्री क्ष्मि स्वी किया गया । गवाहों / साक्षी की उपस्थिति में यह दस्तावेज निष्पादित किया गया है।

- 1. यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा वह अपना क्रिक्नि क्यां से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सड़क निर्माण के दौरान बाधित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कर्नेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमित में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमित दें दी है।
- 3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम कापनी तहसील तिशामा में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संभावित अस्थियी व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थियी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवर्ज का दावा नहीं करेगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी आजीविका व्यवधान संबंधित सहमति स्वीकार है।

- 6. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड़ के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के लिये सभी संभव सावधानियां पूर्वक कार्य करेगा।
- 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक वाहनों के आवागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
- यह कि दोनो पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत है।
- 9. यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

साक्षी / गवाहां की उपस्थिति में दोनो पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस पत्रक को हस्ताक्षरित किया है।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष की ओर से अधिकृत
	(मोहर स्हित)
गवाह	गवाह ASS GENERAL MANAGER
1. हस्ताक्षर रेक्टिंग्टर	1 STATISTER.D.C., UJJAN (M.P.)
नाम -	नाम - (१६५) की के दिया
पूरा पता	्रे नामा पूरा पता - MP. P.D.C.
िन- उपमा	Divi vijain
2. हस्ताक्षर Redidor	2 हस्ताक्षर
नामगट गट	र्भाग −
पूरा पता - कामशा	पूरा पता –
3477	
	रपंच, ग्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर.
कंग्रज्ञें के मिनिनिध भी प	मामिक कंगरमें के पविविधि संग्रा माप के

बुजुर्ग / वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जा सकता है)

यह सहमति पत्र दिनांक 02/08/14 को श्री/श्रीमति राजिक केवर निवासी (जिन्हें बाद में प्रथम पक्ष कहा जावेगा) एवं मध्य प्रदेश रोड़ डेव्हलोपमेंट कारपीरेशन की तरफ से श्री 100.41 क्रेस्ट्रिया (जिन्हें बाद में द्वितीय पक्ष कहा जावेगा) के मध्य हस्ताक्षरित किया गया । गवाहों / साक्षी की उपस्थिति में यह दस्तावेज निष्पादित किया गया है।

- 1. यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा वह अपना स्टार्स की व्यवसाय पिछले 流 वर्षों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सड़क निर्माण के दौरान बाधित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमति में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतू सहमति दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम क्रायाया तहसील लाराना में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संभावित अस्थयी व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- 4. यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थयी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।

5. यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी आजीविका व्यवधान संबंधित सहमति स्वीकार है। GENERAL MANAGER R.D.Y. UJJAIN (M.P.)

- 6. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के लिये सभी संभव सावधानियां पूर्वक कार्य करेगा।
 - 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक वाहनों के आवागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
 - 8. यह कि दोनो पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत है।
 - 9. यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

साक्षी / गवाहां की उपस्थिति में दोनों	पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस
पत्रक को हस्ताक्षरित किया है।	A
हस्ताक्षर प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष की ओर से अधिकृत (मोहर सेहित)
गवाह 1. हस्ताक्षर देशील नाम — पुरा पता — गांतु कायया मार परा पता — गांतु कायया मार परा पता — गांतु कायया	गवाह ASST GENERAL MANAGER 1 हरताक्षर नाम — एक भी करिया पूरा पता — क्राइटाक
2. हस्ताक्षर रिक्टिंग पार्थिता पूरा पता — शहन पार्थिता प्राप्ता प्राप्ता के सरपंच	2 हस्ताक्षर नाम — पूरा पता —
(गवाह / साक्षी में गांव के सरपंच,	ग्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर

कंसलटेंट के प्रतिनिधि, गैर शासकिय संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्रास के

बुजुर्ग / वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जा सकता है)

यह सहमति पत्र दिनांक ्र १००० ११५ को श्री श्रीमति हुए पान काजी निवासी हुए पान काजी एवं मध्य प्रदेश रोड़ डेव्हलीपमेंट कारपीरेशन की तरफ से श्री किया गया । गवाहों / साक्षी की उपस्थिति में यह दस्तावेज निष्पादित किया गया है।

- 1. यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा वह अपना के व्यवसाय पिछले बे... वर्षों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सड़क निर्माण के दौरान बाधित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमित में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमित दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम अग्निम्न तहसील तहसील तिरानी.... में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संभावित अस्थियी व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थयी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।


5. यह कि द्वितीय पक्ष को अस्था<u>यी</u> आजीविका व्यवधान संबंधित सहमति स्वीकार है। ASST. GENDRAL MANAGER ASST. GENDRAL MANAGER

33 M/4

- 6. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के लिये सभी संभव सावधानियां पूर्वक कार्य करेगा।
 - 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक वाहनों के आवागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
 - यह कि दोनों पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत है।
 - 9. यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

साक्षी / गवाहां की उपस्थिति में दोनों पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस पत्रक को हस्ताक्षरित किया है।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष की ओ्र से अधिकृत
	(मोहर सहित) गवाह ASST. GENERAL MANAGER 1 हस्ताक्षर
गवाह	गवाह GENERAL UJJAIN (M.T.)
1. हस्ताक्षर के M/ ज	1 हस्ताक्षर
नाम	नाम - CE 1 Eure 11/199
पूरा पता अरुगन कार्या	पूरा पता - MPRDC'
तः तरमा नि उप्जेत	
2. हस्ताक्षर रिकिटेंबर	2 हस्ताक्षर
नामराह्य पारीहार	नाम
पूरा पता - लागाना	पूरा पता
(गवाह / साक्षी में गांव के सरपंच,	ग्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर.
	संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के



यह सहमति पत्र दिनांक ११०० १५ को श्री/श्रीमति अग्निस्तर सम्झित्र निवासी पाउद्या च्या (जिन्हें बाद में प्रथम पक्ष कहा जावेगा) एवं मध्य प्रदेश रोड़ डेव्हलोपमेंट कारपीरेशन की तरफ से श्री भूके की किया गया । गवाहों/साक्षी की उपस्थिति में यह दस्तावेज निष्पादित किया गया है।

- 1. यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा वह अपना क्रिक्स क्यान पिछले जिल्ला वर्षों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार हैं/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सड़क निर्माण के दौरान बाधित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमति में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमति दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम पाठप्रभा खेडितहसीलउप्पेन में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संभावित अरथयी व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थयी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।

 यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी आजीविका व्यवधान संबंधित सहम्ति स्वीकार है।

अंग्री सम

ASST. GENERAL MANN. M.P.R.D.C., UJJAIN (M.P.)

- 6. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के लिये सभी संभव सावधानियां पूर्वक कार्य करेगा।
 - 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक बाहनों के आवागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
 - 8. यह कि दोनो पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत है।
 - 9. यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

साक्षी / गवाहां की उपस्थिति में दोनो पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस पत्रक को हस्ताक्षरित किया है।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष की भोर से अधिकृत
गवाह 1. हस्ताक्षर उन्हान येभ नाम - अग्रास राष्ट्रभ्य प्रा पता - पाण्डमा व्यडी	महार सहित) गवाह 1 हस्साई GENERAL MANAGER 1 हस्साई FR.D.G. UJJAIN (M.P.) नाम — L.C. Charethyg पूरा पता — M.P.R.D.C.
	2 हस्ताक्षर नाम – पूरा पता – ग्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर. । संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के

बुजुर्ग / वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जा सकता है)

यह सहमति पत्र दिनांक 🎖 🖟 🖟 को श्री /श्रीमति 📉 राध्या भिर्ट न्याव्य निवासी प्राथम पक्ष कहा जावेगा) एवं मध्य बाद में द्वितीय पक्ष कहा जावेगा) के मध्य हस्ताक्षरित किया गया । गवाहों / साक्षी की उपस्थिति में यह दस्तावेज निष्पादित किया गया है।

- 1. यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा वह अपना पुरुष के व्यवसाय पिछले 2 वर्षों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्ताबित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सडक निर्माण के दौरान बाधित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमति में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमति दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम पाण्यका वहसील ... उ में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संभावित अस्थयी व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- 4. यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थयी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।

 यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी आजीविका व्यवधान संबंधित सहमित स्वीकार है। ASST. GENERAL MANAGER M.P.R.D.C., UJJAIN (M.P.)

- 6. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के लिये सभी संभव सावधानियां पूर्वक कार्य करेगा।
- 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक वाहनों के आवागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
- 8. यह कि दोनो पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत है।
- 9. यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

साक्षी / गवाहां की उपस्थिति में दोनों पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस

पत्रक को हस्ताक्षरित किया है।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष की ओर से अधिकृत

गवाह

गवाह

1. हस्ताक्षर नी विशेष विष विशेष विष विशेष विष विशेष विष

(गवाह/साक्षी में गांव के सरपंच, ग्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर. कंसलटेंट के प्रतिनिधि, गैर-शासिकय संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के बुजुर्ग/वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जा सकता है)

- 1. यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा वह अपना पान कि दुकान का पट्टेदार है। वर्षों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सड़क निर्माण के दौरान बाधित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमित में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमित दे दी है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थयी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।

5. यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी आजीविका व्यवधान संबंधित सहमति स्वीकार है।

3nd of the

- 6. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के लिये सभी संभव सावधानियां पूर्वक कार्य करेगा।
 - 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक वाहनों के आवागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
 - 8. यह कि दोनो पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत है।
 - 9. यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

साक्षी / गवाहां की उपस्थिति में दोनों पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस पत्रक को हस्ताक्षरित किया है।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष की ओर हो अधिकृत
	(मोहर सहित)
गवाह	गवाह
1. हस्ताक्षर अर्था हिंदी हिंदी हैं। नाम – अर्था काल पूरा पता – अर्था काल काल	गवाह 1 हस्ताक्षरASSF GENERAL MANAGER 1 हस्ताक्षरASSF GENERAL MANAGER M.P.R.D.C., UJJAIN (M.P.) नाम —
उल्लेन	Ujjun Olvisim
 हस्ताक्षर नाम – △ △ 	2 हस्ताक्षर
पूरा पता — उज्जैन	पूरा पता —
(गवाह / साक्षी में गांव के सरपंच	य ग्राम पंचायत के सदस्य डी.पी.आर.

(गवाह/साक्षी में गांव के सरपंच, ग्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर. कंसलटेंट के प्रतिनिधि, गैर शासिकय संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के बुजुर्ग/वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जा सकता है)

यह सहमति पत्र दिनांक गिर्शिश् को श्री/श्रीमति क्रिंगिरिश्या निवासी प्राप्ति कार्पोरेशन की तरफ से श्री कि किया गया।

गवाहों/साक्षी की उपस्थिति में यह दस्तावेज निष्पादित किया गया है।

- 1. यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा वह अपना विकास प्राप्त विकास पिछले कि वर्षों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सड़क निर्माण के दौरान बाधित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमित में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमित दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम प्राक्ता कि तहसील अपनी मं संभावित अस्थियों व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थियी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।

5. <u>यह</u> कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी आजीविका व्यवधा<u>न</u> संबंधित सहमति स्वीकार है।

जिलादेश राजीरिया

- 6. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के लिये सभी संभव सावधानियां पूर्वक कार्य करेगा।
- 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक वाहनों के आवागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
 - 8. यह कि दोनो पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत है।
 - 9. यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

साक्षा / गवाहा का उपास्थात म दान	ना पक्षा न उपर लिखित ताराख का इस
पत्रक को हस्ताक्षरित किया है।	
हस्ताक्षर प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष की ओर 🛊 अधिकृत
गवाह 1. हस्ताक्षर पूरा पता — पाएउगा स्वा	(मोहर सहित) (मोहर सहित) (मोहर सहित) (मोहर सहित) (मोहर सहित) (MANAGER (M.P.) (M
	2 हस्ताक्षर नाम — पूरा पता — , ग्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर.
कंसलटेंट के प्रतिनिधि, गैर शासि बुजुर्ग/वरिष्ठ नागरिकों को शामिल	केय संगठनों-के प्रतिनिधि तथा ग्राम के किया जा सकता है)

यह सहमति पत्र दिनांक 🙉 🕼 को श्री/श्रीमति अन्ति परिश्री पित्र प्रिया परिश्री परिश्री परिश्री परिश्री परिश्री परिश्री परिश्री एवं मध्य प्रदेश रोड़ डेव्हलोपमेंट कारपीरेशन की तरफ से श्री एक की अन्ति किया गया । गवाहों / साक्षी की उपस्थिति में यह दस्तावेज निष्पादित किया गया है।

- 1. यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा वह अपना प्रज्य की व्यवसाय पिछले .3. वर्षों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सड़क निर्माण के दौरान बाधित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमित में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमित दें दी है।
- 3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम प्राणाम कहसील जिलाम में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संभावित अस्थयी व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थयी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।

5. यह कि द्वितीय पक्ष को अस्था<u>यी</u> आजीविका व्यवधान संबंधित सहमति स्वीकार है।

ASST. GENERAL MANAGER M.P.R.D.C. UJJAIN (M.P.)

- 6. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के लिये सभी संभव सावधानियां पूर्वक कार्य करेगा।
- 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक वाहनों के आवागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
- यह कि दोनो पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत
 है।
- 9. यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

साक्षी / गवाहां की उपस्थिति में दोनो पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस पत्रक को हस्ताक्षरित किया है।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष की और से अधिकृत
गवाह 🕰	गवाह ASST. GENERAL MANAGER
1. हस्ताक्षर	1 हस्ताक्षर ^{(P.R.D.}
नाम	नाम - Lack Kingsthing
पूरा पता - विजयागा	पूरा पता - शहर हिट
रेवाम्	phy yrain,
2. हस्ताक्षर में १) ड्रांस पिली सम्बद्धानमञ्जू	2 हस्ताक्षर
नाम - विजयाशान भूत	<u> </u>
पूरा पता -	पूरा पता —
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	ग्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर.

बुजुर्ग / वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जा सकता है)

- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमित में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमित दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम (विजयां) ने प्रहसील ज्याम् में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संभावित अस्थियी व्यवधान को देखते हुये भी सहमित प्रदान की है।
- यह िक प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थियी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।

5. यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी आजीविका व्यवधान संबंधित सह<u>मति</u> स्वीकार है।



- 6. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड़ के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के लिये सभी संभव सावधानियां पूर्वक कार्य करेगा।
 - 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक वाहनों के आवागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
 - यह कि दोनो पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत है।
 - 9. यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

साक्षी / गवाहां की उपस्थित में दोनो पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस
पत्रक को हस्ताक्षरित किया है।
हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

दितीय पक्ष की ओर से अधिकृत
(मोहर सहित)

गवाह

तहस्ताक्षर
नाम — अपिशासम्म पूरा पता — विजया गर्म किटा पूरा पता — प्रताह के सदस्य, डी.पी.आर. कंसलटेंट के प्रतिनिधि, गैर शासिकय संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के बुजुर्ग / विरेष्ठ नागरिकों को शामिल किया जा सकता है)

यह सहमति पत्र दिनांक 08/02/14को श्री/श्रीमति (१२वर) 500 २५। निवासी (जिन्हें बाद में प्रथम पक्ष कहा जावेगा) एवं मध्य प्रदेश रोड़ डेव्हलोपमेंट कारपीरेशन की तरफ से श्री (कि.सी. कर्ड़ी ट्यू) (जिन्हें बाद में द्वितीय पक्ष कहा जावेगा) के मध्य हस्ताक्षरित किया गया । गवाहों / साक्षी की उपस्थिति में यह दस्तावेज निष्पादित किया गया है।

- 1. यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा वह अपना कि (व्यवसाय पिछले 4. वर्षों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सड़क निर्माण के दौरान बाधित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीबिटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमित में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमित दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम (वाम 10) तहसील हैपाल में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में सभावित अस्थयी व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
 - यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थयी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।
 - यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी आजीविका व्यवधान संबंधित सहमित स्वीकार है।

नवेश

- 6. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के लिये सभी संभव सावधानियां पूर्वक कार्य करेगा।
 - 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक वाहनों के आवागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
 - यह कि दोनों पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत है।
 - 9. यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

पत्रक को हस्ताक्षरित किया है	
हस्ताक्षर प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष की ओर से अधिकृत (मोहर सहित) गवाह ASST. GENERAL MANAGER 1 हस्ताक्षर MPR.D.C. UJJAIN (M.P.)
गवाह 🔍	THE ASST. GENERALIN (M
1. हस्ताक्षर प्रवे र	1 हस्ताक्षर १६००
नाम –	THE - C. C. KNOWNYS
पूरा पता — विश्वान	(१९१८) पूरा पता - MP ROC
7	2
2. हस्ताक्षर मुट्	2 हस्ताक्षर
नाम)हरकीर	नाम –
पूरा पता - विजय	प्राण्ड मण्डे पूरा पता —
(गवाह / साक्षी में गांव के	सरपंच, ग्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर.

यह सहमति पत्र दिनांक प्रिशिश श्री/श्रीमति प्रिणी परि निवासी क्षित्र हिर्म (जिन्हें बाद में प्रथम पक्ष कहा जावेगा) एवं मध्य प्रदेश रोड़ डेव्हलोपमेंट कारपीरेशन की तरफ से श्री श्री कि किया गया । गवाहों/साक्षी की उपस्थिति में यह दस्तावेज निष्पादित किया गया है।

- 1. यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा वह अपना जिन्हा कि द्वावसाय पिछले . 12 वर्षों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सड़क निर्माण के दौरान बाधित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमित में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमित दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम र्मे प्रभाव तहसील उपनी में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संभावित अस्थयी व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- 4. यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थयी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।

5. यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थाय<u>ी आ</u>जीविका व्यवधान संबंधित सहमति स्वीकार है।

2/4/

- 6. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के लिये सभी संभव सावधानियां पूर्वक कार्य करेगा।
 - 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक वाहनों के आवागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
- यह कि दोनों पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत
 है।
 - 9. यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

	पक्षा न उपर लिखत ताराख का इस
पत्रक को हस्ताक्षरित किया है।	\
हस्ताक्षर प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष की ओर से अधिकृत (मोहर सहित्र) गवाह 1 हस्ताक्षर स्टिम्स्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्ट
गवाह	गवाह
 हस्ताक्षर बीजी 	1 हस्ताक्षर क्रिकेट
नाम – राजा जर पूरा पता – स्रोक्टरपूर	नाम — ८०० Kurethiya पूरा पता — M.P.R.D.C
2. हस्ताक्षर प्रि नाम — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	2 हस्ताक्षर पार्षक् नाम —
पूरा पता — हुल्ली	गाम पंचायत के सदस्य द्वीपीआर

(गवाह/साक्षी में गांव के सरपंच, ग्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर. कंसलटेंट के प्रतिनिधि, गैर-शासिकय संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के बुजुर्ग/वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जा सकता है)

List of Participants and Local Panchayats

Madhya Pradesh Road Development Corporation Community Consultation

S1. No	Name	Occupation	Sex/4	Signature
1	Shi Kamal Sylsi	cui Driver	M/37	- कमलं सिंह
2	Oni Ralain lal	Labour	M/60	<u> २तम् लाल</u>
3	Shi Hemraj	Petly Shap	M/28	ट्रेम् २ जि
4	Shi Dinesh Mondle		M/Be	Direct
5	Bhi Jeavan Snyh &	salis Sarpanel	M/20	Alors Ginero
6	Etri Om Prakack	Dever	M 36	अपि प्रमाश
7	Shi Mohan Sing	Labour	M/40	महों ।
8	Shi Solhu Cal	Labour	M/37	ञीर,
9	Shi Gklan Verna	Barbershyp	M/26	असि रीम
10	Shi Kale Rom	Labor	4/60	李14314
11	Shi Chiyji Kor.	Labour	M 68	a market
12	Shi Vishnus	igh Farmerflis	M/65	ATTENTO
13	Shi MakesiZal	V .		- mashest lad
14	1	1		1
15				

Madhya Pradesh Road Development Corporation Community Consultation

51. No	Name	Occupation	Sex	Signature
1	Shi Anjay veng	Qaloon	u 33	अग्रय वर्ग
2	Shi Kashi Rom	Shoe Ropan	MSZ	CAN EM
3	Shi Grandhan C	al Hardwarth	pm/46	- जानवार्य लाल
4	Shi faver Duger	is Ove lapon	M36	-परिनेश
5	She Mulchton Huce	un Tynglepani	M/50	Deschie
6	8hi Mukeshkum			上野村雪町
7	Ohsi Rolley Shyam		M/36	Rely
8	Shi Aryn Pahrd	ja Fluit Vando	M/37	345/008/12
9	Shi Kohin Rafidi	on Shap-Sparepo	5 M/m	- Sauce
10	8hi Manoj Sing	Moterpartsy	9 M/SZ	Merchant
11		Forma Busi	4 1	त्रे मेचाहर
12	Shri Sunel Katan			
13		1	1	4
14				
15			1	1

Madhya Pradesh Road Development Corporation Community Consultation The Road: Makes Road Road Rockage: Makes Rockage: Ma

SI. No	Name	Occupation	Sex	Signature
1	Shri Dmee L fragapa	ti Tescop	M/24 1	Denotus
2	Shi Sunif Kernat	- Viget-bl Knox	M/25	सुनील
3	Shi Sweet Bajapate	i Motor Mechanie	M 45	GZ21
4	Shei Ram Kr. Railhou	Tea Klosk	M 42	रामकमार
5	Chi Asgu Klown	Deven	M/34	5925 7W
6	Shi Yasmant-Sm	Teas(all	M 50	favourtes
7	Bhsi Piem Warayan	Shoe Repair	M/53	J 421240
8	Shai MukasaMehla			muketh
9	8th Mehaben Singl	Swoody Farmer	M 45	अहरवान मिहं
10	Shi Ram Ratton	Tesskill	MAS	शमक्रमा ऱ
11	Engi Balrem Solo	orki Busines	M 52	Balkams
12	Blu Sabir Ali	Vegefabliend	M 38	शाबिर अली
13	Bhi Rames Che	udra Vegadol Vi	der 11/30	? रमश
14	Shutejkaran	Caber Form	MAR	. त्रांतकर्य
15		1		1



कार्यालय ग्राम पंचायत ताजपुर

जनपद पंचायत उज्जैन जिला उज्जैन (म. प्र.)

सरपंच

श्रीमती सीमाकुंवर-गुलाबसिंह (दरबार) मो. ९९८ १५८४, ८८८ १३८० १ सचिव राजेश गोलवाना मो. 9981701421

दिनांक 12/5/2015

क्रमांक/क्य/पंचा/ अर्थ कार्या पुन्ता, रूप की कार ही क्री .

ग्राम पंचायत लाजपुर

प्राण : प्रथम अग्निमा एडी भी सहस्र विकास निग्न मि अपमा 2 - रीतिस्ट्रा अर्डि सी री (ICT) पा में आपात पंड

> स्वित्व ग्राम पचायत् ताजपुर

Gram Panchayat Tajpur

The Gram Panchayat meeting Tajpur was held on 15th May 2015. In this regard, the Gram Panchayat Tajpur has indicated in the letter that the Ujjain Makshi Road construction is being done successfully through ADB funding. During the meeting, local residents have appreciated the ADB project and in the meantime of discussion they have revealed that the damage of frontage of cement platform/structures was done by local residents themselves as they were encroached on government land. Thus, in view of Singhast Mela, the local residents have removed encroached portion in order to provide free space for smooth movement of transportation for pilgrims.



कायालय ग्राम पंचायत जयवंत

जनपद पंचायत उज्जैन, जिला उज्जैन (म.प्र.)

सरपंच जीवनसिंह गरासिया मो. 91651-15222 निवास-पाटपाला

सचिव अर्जुनसिंह जाट मो. 97533-02316

क्रमांक/क्यू/पंचा/

पति,

दिनांक.1.7 5 2015

समाजीय प्रबन्धन हमा मी आर्डी सी मिगल, РШО 4 МРРОС कामी तथ उज्लेन ग-प

उज्जन से सरमी राउद्य मार्ग द्या एग जी अं डीसी एम.पी. Pakei 1 भोषाल 1 गाजना के तहत निर्माण कार्य वामन |

महोदयजी, अध्यक्त विषय के अन्तिन ADB परियोजन के तहन उज्जन - अन्ति इंडिंक निर्माण कार्य किया जारहाट जीसमें आम पनायन जयनतपुर (पाटपाला) के ह्या आम सभा 15 मडे 2015 को आकाजिन की अभी थी । जीसमें स्मा के दोहान समसा आम गामियों को अडक निर्माण कार्य से निर्मी प्रकार की ज्या हान ने हा एवं अस्कारी जमीन पर कीती प्रकार का निजी निर्माण ने कियाजाह जीसमें सिहारी में के के आवाजामन अन्यक्त करा के समस्ति का कार्य के स्वास्ति सिहारी में के कीया आवशह तथा कही रोड क्षाति गुरुत नोहे दुका है। यही जान कारी श्रीमान की उत्तर जीवत टिनाम -

1. मुख्य आंत्रेयन्ता ADB म ए सडम विकास निगत्ति कोणात

II. टीम लिउर ICT पा लि भोवाल

অন্দৰ ৭ থামন ভত্তীন

Gram Panchayat Jaywantpur (Patpala)

The Gram Panchayat Jaywantpur (Patpala) has mentioned in the letter that the Ujjain Makshi Road construction is being done successfully through ADB finance. The Gram Panchayat meeting Jaywantpur (Patpala) was held on 15th May 2015, in which local people have appreciated the project and during the discussion they have revealed that the damage of frontage of cement platform/structures was done by local residents themselves as they encroached on government land, in view of Singhast Maha Kumbh Mela, the local residents has removed encroached frontage in order to provide free space for smooth movement of transportation for pilgrims.

पंचायत राज अमर रहे



कार्यालय ग्राम पंचायत, पंथा मुण्डला

जनपद पंचायत व जिला देवास (म.प्र.)

-सरपंच-

सिकन्दर स्टानि एडव्होंकेट M.A.LLB तो. 9425049288, 999661777 – निवास – ग्राम पंथा मुण्डला पोस्ट दत्तोतर तह. जि. देवास (म.प्र.)

क्रं. / क्यु/ पंचा/

दिनांक ..18 | 05 | 2015

वा मार्गार्थीय प्रबन्दाक एम पी आएडी सी ।

विषय : उज्जन से असी सहस कार्य का एम पी डी सी एस पी Palges 1 आपाल, प्राणन के उद्दा निर्माण कार्य कार्या के अन्तिशाल में उपरोद्धा निर्माण के उद्दार निर्माण कार्य कार्य के अन्तिशाल में उपरोद्धा निर्माण के उद्दार निर्माण कार्य के अन्तिशाल में कार्य कार्य के अन्तिशाल में कार्य कार्य के अन्तिशाल में कार्य के अन्

तहा अप्राद्य अपराद्य कि अन्तिशन में का विद्याणना के तहा अपना में अपना में अपना में का अपना के अपना में का अपना के अपना में अपना के अपना में अपना मे

क्राताम मन है। यह अभाग की आर प्रसिट्

श्राम वंद्यायत पंजनुण्डला ज. वं. देवास (न. प्र.)

प्राम्मी के हिन्द्य अमियसा ए.डी. बी. मंड संडम विकास कि काम भीपाल (1) टीम लिडर आई सी. टी. प्रा॰ की पाल

Gram Panchayat Panth Mundla

The Gram panchayat meeting Panth Mundla was held on 15th May 2015. It is mentioned in panchayat letter that the Ujjain Makshi Road construction work is being done successfully through ADB funding. During the meeting, local residents have appreciated the project and in the meantime of discussion they have revealed that the damage of frontage of cement platform/structures was done by local residents themselves as they were encroached on government land. In view of Singhast Maha Kumbh Mela, the local residents have removed encroached portion in order to provide free space for smooth movement of transportation for pilgrims.